झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
रिट याचिका (सिविल) संख्या 2357/2018

इंजीनियरिंग मजदूर सभा, टाटीसिलवई, रांची, अपने श्रमिकों के माध्यम से श्री अंजनी कुमार पांडेय के प्रतिनिधित्वित में, आयु लगभग 55 वर्ष, पिता स्व. कृपा नाधन पांडेय , निवासी गंगा टोली, डाकघर और थाना चुटिया, जिला रांची (झारखंड)

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. प्रबंधन, मेसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड, टाटीसिलवई, डाकघर और थाना नामकुम, जिला रांची, अपने सामान्य प्रबंधक के माध्यम से, मेसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड, टाटीसिलवई, रांची, डाकघर और थाना नामकुम, जिला रांची (झारखंड)

... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अंजनी कुमार पांडेय, व्यक्तिगत रूप से
उत्तरदाता-राज्य के लिए: सुश्री रूबी यादव, एसी,एससी-VI
उत्तरदाता संख्या 2 के लिए:: श्री निपुण बख्शी, अधिवक्ता
श्री शुभम सिन्हा, अधिवक्ता

प्रस्तुत

माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : पक्षों को सुना

2. यह जनहित याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें उचित रिट/रिट्स, आदेश/आदेशों, और प्रमाणपत्र की प्रकृति में निर्देश/निर्देशों की मांग की गई है ताकि 15.03.2018 की आदेश (अनुबंध 2) को रद्द किया जा सके, जो इस जनहित याचिका में संदर्भ मामले संख्या 01/2017 में माननीय अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय रांची द्वारा पारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार, प्रबंधन का सदस्य होने वाली नियोक्ताओं की संघ के अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों को भी कानूनी पेशेवरों के रूप में प्रबंधन के मामले का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई है; जो कि याचिका दायर करने वाले श्रमिक संघ के अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36(3)(4) के तहत स्थापित कानून के खिलाफ है। इसके अलावा, 19.04.2018 का आदेश और उक्त औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसे अनुबंध-33 के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें पुनर्विचार को अस्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही, 15.03.2018 के आदेश को लागू न करने के लिए एक मंडेमस रिट की भी मांग की गई है, जिससे श्रमिकों के मामले को नुकसान हुआ है।

3 इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि संदर्भ मामले संख्या 01/2017 में उत्तरदाता संख्या 2 प्रबंधन को श्री सतीश बक्शी और श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी, जो कि कानूनी पेशेवर हैं, लेकिन साथ ही श्री सतीश बक्शी मानद अध्यक्ष हैं और श्री अनिल कुमार वर्मा मानद सचिव हैं, जो नियोक्ताओं के पंजीकृत संघ, अर्थात झारखंड उद्योग विकास संघ के सदस्य हैं। श्रमिकों के प्रतिनिधि ने 10.01.2018 को एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रबंधन को किसी भी कानूनी पेशेवर द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति न देने

की प्रार्थना की गई। प्रबंधन ने इसका विरोध किया। प्रबंधन ने 07.02.2018 को एक अलग याचिका भी दायर की जिसमें श्री सतीश बक्शी और श्री अनिल कुमार वर्मा को संदर्भ मामले संख्या 01/2017 में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने की प्रार्थना की। औद्योगिक न्यायालय, रांची ने विचार किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36(2) के तहत, एक नियोक्ता जो विवाद का पक्षकार है, उसे इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जिसमें नियोक्ताओं के संघ का एक अधिकारी भी शामिल है, जिसका नियोक्ता सदस्य है। न्यायालय ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया, जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बनाम श्रमिकों के मामले में 1977 2 एससीसी 339 में देखा गया था:-

> *"..... इसी प्रकार, यदि कोई कानूनी पेशेवर नियोक्ताओं के संघ या ऐसे संघों के महासंघ का अधिकारी है, तो धारा 36(4) में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे अधिनियम की धारा 36(2) के प्रावधानों के तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से रोक सके"...*

4. विद्वत न्यायालय ने इस मामले में नव चंद्र झा बनाम अध्यक्ष एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय की समांतर बेंच के निर्णय पर भी भरोसा किया, जो 2001 (1) झ. क्र. 164 (झारखंड) में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें समांतर बेंच ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> *"..... एक कानूनी पेशेवर स्वयं श्रमिक या नियोक्ता का प्रतिनिधित्व किसी भी सुलह प्रक्रिया या अधिनियम के तहत किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता। लेकिन, वह ऐसा अन्य पक्ष की सहमति और न्यायालय की अनुमति से कर सकता है। लेकिन, यदि वह एक पंजीकृत श्रमिक संघ के कार्यालयधारी या नियोक्ताओं के संघ का अधिकारी है, तो उसे दूसरे पक्ष की सहमति या न्यायालय या न्यायाधिकरण की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस कारण से कि कोई व्यक्ति कानूनी पेशेवर है, उसे नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोका जा सकता, यदि वह व्यक्ति नियोक्ताओं के संघ का अधिकारी या ऐसे संघ के महासंघ का अधिकारी है"...*

और श्रमिकों द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया और प्रबंधन द्वारा दायर याचिका दिनांक 07.02.2018 को श्री सतीश बख्शी और श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी।

5. याचिका दायर करने वाले श्रमिकों के प्रतिनिधि मेसर्स हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उनके श्रमिकों, जो श्री अंजनी कुमार पांडेय, महामंत्री, झारखंड जनरल कामगार संघ द्वारा प्रतिनिधित्वित हैं, के मामले में इस न्यायालय की समांतर बेंच के निर्णय पर भरोसा करते हैं, जो रिट याचिका संख्या 7458/2012 में 01.04.2014 को पारित किया गया था। जिसमें इस न्यायालय की समांतर बेंच ने श्रम न्यायालय के आदेश से सहमति व्यक्त की थी, जिसके तहत श्रम न्यायालय ने उस मामले में प्रबंधन को कानूनी पेशेवर द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि श्रमिकों द्वारा ऐसी उपस्थिति के लिए सहमति नहीं दी गई थी। याचिका दायर करने वाले श्रमिकों के प्रतिनिधि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा करते हैं, जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप बनाम श्रमिकों के मामले में है, जिसमें अनुच्छेद 21 के पैरा 21 से 24 तक पढ़ा गया है:

"21. हमने उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पर गंभीरता से विचार किया है। यह सत्य है कि किसी विशेष संदर्भ में और किसी विशेष कानून के उद्देश्य और प्रयोजन के दृष्टिगत "या" को "और" के रूप में पढ़ा जा सकता है ताकि विधायिका की मंशा को प्रभावी बनाया जा सके। हालांकि, वर्तमान कानून के इतिहास, न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय प्रक्रिया में पक्षों की असमान शक्ति को कानून द्वारा मान्यता, कानून की मंशा कानूनी पेशेवरों द्वारा प्रतिनिधित्व को हतोत्साहित करना, और मामलों के त्वरित निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं कह सकते कि धारा 36(4) में के रूप में पढ़ा जा सकता है।

22. विपरीत पक्ष की सहमति एक निष्क्रिय विकल्प नहीं है, बल्कि धारा 36 (4) में एक निर्णायक कारक है। सॉलिसिटर जनरल द्वारा बताए गए कठिनाई के प्रश्न से विधायिका को निपटना है और यह अदालतों के लिए उचित नहीं है कि वे धारा 36 की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध होने पर एक तनावपूर्ण व्याख्या चुनने के लिए अन्याय और अन्य परिणामों के सिद्धांत का आह्वान करें।

23. इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि अधिवक्ताओं अधिनियम, 1961 की धारा 30 के तहत, प्रत्येक अधिवक्ता को "अधिकार के रूप में" सभी न्यायालयों और किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष अभ्यास करने का अधिकार है (धारा 30 (i) और (ii))। अधिवक्ता को एक बाद के कानून द्वारा प्रदान किया गया यह अधिकार धारा 36(4) में "और" को "या" के रूप में मानकर सही तरीके से सुरक्षित रहेगा, ऐसा वकील का कहना है। हम धारा 30 (ii) में भाषा में कुछ अंतर को देखने से चूकते नहीं हैं, जो भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 की धारा 14 (1)(b) में है, जो अधिवक्ताओं के न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार से संबंधित है। उदाहरण के लिए, बार काउंसिल अधिनियम की धारा 14 (1)(b) के तहत, एक अधिवक्ता को अधिकार के रूप में अभ्यास करने का अधिकार होगा जब तक कि किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो (उच्च न्यायालय को छोड़कर) किसी भी न्यायालय और न्यायाधिकरण में। हालांकि, अधिवक्ताओं अधिनियम की धारा 30 (ii) में "किसी अन्य कानून" का कोई संदर्भ नहीं है। यह हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि धारा 30 अभी तक लागू नहीं हुई है। फिर भी, हम कई कारणों से अधिवक्ताओं अधिनियम की धारा 30 द्वारा बाधित नहीं होने वाले हैं। पहले, औद्योगिक विवाद अधिनियम एक विशेष कानून है जिसका स्पष्ट उद्देश्य श्रमिक कल्याण है और निर्णयात्मक प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व को स्पष्ट उद्देश्य के साथ विशेष रूप से प्रदान किया गया है। यह विशेष अधिनियम उन सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष वकीलों की उपस्थिति से संबंधित सामान्य कानून, यानी अधिवक्ताओं अधिनियम पर प्रभावी रहेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम केवल कुछ शर्तों के तहत कानून पेशेवरों द्वारा उन प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व से संबंधित है जो इस अधिनियम के तहत उल्लेखित हैं। सामान्य बातें विशेष बातों को प्रभावित नहीं करतीं। जैसा कि मैक्सवेल ने कहा है:

> *"विशिष्ट विषय पर पहले ही ध्यान देने और इसके लिए प्रावधान करने के बाद, विधायिका को यह उचित रूप से माना जाता है कि वह किसी बाद के सामान्य अधिनियम द्वारा उस विशेष प्रावधान को बदलने का इरादा नहीं रखती, जब तक कि उस इरादे को स्पष्ट भाषा में व्यक्त न किया जाए ..... या सामान्य अधिनियम की प्रकृति में ऐसा कुछ न हो जो यह असंभावित बनाता हो कि विशेष अधिनियम के संबंध में कोई अपवाद अभिप्रेत था। इन शर्तों की अनुपस्थिति में, सामान्य अधिनियम को इस प्रकार पढ़ा जाता है कि वह चुपचाप उन मामलों को अपने*

संचालन से बाहर करता है जो विशेष अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं।"

24. दूसरे, इस मामले को कानूनी पेशेवरों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि नियोक्ता और श्रमिकों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जो औद्योगिक विवाद में प्रमुख प्रतियोगी हैं। केवल तब ही जब एक पार्टी किसी कानूनी पेशेवर को नियुक्त करती है, तब वह न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने में सक्षम होती है। यहाँ, अधिनियम के तहत, प्रतिबंध एक पार्टी पर है और कानूनी पेशेवर के अधिकार पर विचार करने का अवसर उत्पन्न नहीं हो सकता।

और यह प्रस्तुत करता है कि सीखने योग्य न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि श्री सतीश बक्शी और श्री अनिल कुमार वर्मा नियमित कानूनी पेशेवर हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 15.03.2018 और 19.04.2018 की आदेशों को रद्द किया जाए और निरस्त किया जाए।
— मैक्सवेल, "व्याख्या के अधिनियमों पर," 11वां संस्करण, पृष्ठ 169

6. प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता का कहना है कि मेसर्स हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उनके श्रमिकों के मामले में, जिसमें श्री अंजनी कुमार पांडेय, महामंत्री, झारखंड जनरल कामगार संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, के तथ्य इस मामले से पूरी तरह भिन्न हैं क्योंकि उस मामले में प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए जो वकील मांगा गया था, वह नियोक्ताओं के संघ का अधिकारी नहीं था। इसलिए, उस मामले के तथ्य इस मामले से पूरी तरह अलग हैं, जहां इस मामले में केवल नियोक्ताओं के संघ के दो कार्यालयधारी भी वकील हैं, लेकिन वे वकील होने के कारण प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने से वंचित नहीं होंगे। अपने तर्क का समर्थन करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता इस न्यायालय की समांतर बेंच के निर्णय पर भरोसा करते हैं, जो इंजीनियरिंग मजदूर सभा, टाटीसिलवई, रांची बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में एलपीए संख्या 499/2019 में 10 जनवरी 2023 को पारित किया गया था, जिसमें पक्ष भी वही थे और नियोक्ता संघ के अधिकारी भी वही व्यक्ति थे, यानी श्री सतीश बक्शी और श्री अनिल कुमार वर्मा। इस न्यायालय की समांतर बेंच ने यह ध्यान में रखते हुए कि केवल इस कारण से कि नियोक्ताओं के संघ के अधिकारी जो प्रबंधन का सदस्य है, वे भी वकील हैं, यह उन्हें प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोकता। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि श्रमिकों ने नियोक्ताओं के आदेश को चुनौती दी थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि श्रमिकों ने एलपीए संख्या 499/2019 में इस न्यायालय की समांतर बेंच के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी थी और डिवीजन बेंच ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए उसी को खारिज कर दिया और आगे श्री अंजनी कुमार पांडेय की कार्रवाई पर ध्यान दिया, जिनके खिलाफ इंजीनियरिंग मजदूर सभा के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में खुद को प्रस्तुत करने के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और श्री अंजनी कुमार पांडेय को निर्देशित किया गया कि वे जहां भी खुद को इंजीनियरिंग मजदूर सभा के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहां विवाद का विशेष संदर्भ दें। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 15.03.2018 और 19.04.2018 की आदेशों में कोई अवैधता नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस जनहित याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाए।

7. बार में की गई विपक्षी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, इस न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बनाम श्रमिक (उपर्युक्त) के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36(4) में "और" के संयोजन पर ध्यान दिया है और यह निर्णय लिया है कि यदि कोई कानूनी पेशेवर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, तो यह केवल दूसरी पार्टी की सहमति और श्रम न्यायालय या राष्ट्रीय न्यायालय की अनुमति से किया जा

सकता है। लेकिन यह अवलोकन तब किया गया था जब संबंधित कानूनी पेशेवर नियोक्ताओं के संघ का अधिकारी नहीं था, जिसका प्रबंधन सदस्य है। उक्त निर्णय में, जैसा कि ऊपर पहले ही संकेतित किया गया है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यदि ऐसा कानूनी पेशेवर नियोक्ताओं के संघ का अधिकारी है, तो ऐसा अधिकारी प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने से वंचित नहीं होगा—केवल इस कारण से कि वह भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36(2) के तहत कानूनी पेशेवर है।

8. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट,पारादीप बनाम श्रमिक (उपर्युक्त) के मामले में पैराग्राफ 23 में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अधिवक्ताओं अधिनियम की धारा 30 अभी तक लागू नहीं हुई है। इसलिए, यह एक कानूनी पेशेवर के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36(4) के तहत अपने प्रतिबंध को पार करने के लिए कोई उपयोगी नहीं होगा।

9. इस न्यायालय ने बार में की गई विपक्षी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करने के बाद, यह स्पष्ट रूप से कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रबंधन/नियोक्ता का कानूनी पेशेवर द्वारा प्रतिनिधित्व करने के दो अलग-अलग पहलू हैं।

मामला **I**: जहां नियोक्ताओं के संघ का एक अधिकारी भी एक कानूनी पेशेवर है और नियोक्ताप्रबंधन उस नियोक्ताओं के संघ का सदस्य है।/

मामला **II**: जहां एक कानूनी पेशेवर नियोक्ताओं के संघ का अधिकारी नहीं है, जिसका नियोक्ताप्रबंधन सदस्य है/, और केवल कानूनी पेशेवर के रूप में वह किसी विवाद में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, चाहे वह श्रमिकों के लिए हो या प्रबंधन के लिए।

10. मामला **I** में, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि नियोक्ताओं के संघ का एक अधिकारी, जिसका नियोक्ताप्रबंधन सदस्य है/, या नियोक्ताओं के संघों के महासंघ का एक अधिकारी, जिसके तहत यह संघ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 36(2)(a) में उल्लेखित है, से संबंधित है; तो केवल इस कारण से कि ऐसा अधिकारी भी एक कानूनी पेशेवर है, यह उसके लिए नियोक्ताप्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने में कोई बाधा / नहीं होगी।लेकिनमामले **II** में, एक कानूनी पेशेवर जो नियोक्ताओं के संघ का अधिकारी नहीं है या जो एक पंजीकृत श्रमिक संघ के कार्यकारी या अन्य कार्यालयधारी का सदस्य नहीं है, वह केवल तभी श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है:

(I) दूसरा पक्ष इस तरह की उपस्थिति के लिए सहमति देता है और इसके अलावा श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे कानूनी व्यवसायी को किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है।

11. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह निर्विवाद तथ्य है कि श्री सतीश बक्शी और श्री अनिल कुमार वर्मा नियोक्ताओं के संघ के अधिकारी हैं, जिसका प्रतिवादी संख्या 2 सदस्य है। केवल इस कारण से कि वे कानूनी पेशेवर भी हैं, यह उनके लिए प्रतिवादी संख्या 2 के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने में कोई बाधा नहीं होगी; पंजीकृत नियोक्ता संघ के अधिकारी के रूप में, जिसका प्रबंधन इस मामले में एक सदस्य है।इस प्रकार, इस न्यायालय को 15.03.2018 (अनुक्रमणिका 2) के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है, जो इस जनहित याचिका में संदर्भ मामले संख्या 01/2017 में पारित किया गया था, जिसमें नियोक्ताओं के संघ के अधिकारियों को, जिनमें प्रबंधन नियोक्ता सदस्य है लेकिन जो कानूनी पेशेवर भी हैं, को प्रतिवादी संख्या 2 के प्रबंधन के मामले का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 36(2) के तहत स्थापित कानून के खिलाफ नहीं है और साथ ही 19.04.2018 (अनुक्रमणिका 3) के आदेश में भी कोई अवैधता नहीं है, जिसमें समीक्षा

को खारिज कर दिया गया है।

12. तदनुसार, यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दी जाती है।

13. निचली अदालत के रिकॉर्ड के साथ इस फैसले की एक प्रति तुरंत संबंधित विद्वत न्यायाधिकरण को वापस भेजी जाए।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 11 जनवरी 2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|